

अन्य नियम एवं शर्तें : ई-नीलामी ऑनलाइन होगी और "जहाँ है जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर की जायेगी।		
1.	ऋणी का नाम एवं पता	- ऋणी मेसर्स इंडीसन एग्रो फूड्स लिमिटेड पता: 310, पत्थर मुंडला रोड, इन्दौर (म.प्र.)
2.	शाखा सिक्वोर्ड क्रेडिटर का नाम एवं पता	- भारतीय स्टेट बैंक (कन्सॉल्टियम लीडर) तनाव ग्रस्त आस्ति प्रबन्धन शाखा, भोपाल प्लाट नं.1, प्रथम तल, एसबीआई बिल्डिंग, अरेरा हिल्स, भोपाल -462011 (म.प्र.) अन्य सदस्य -इलाहाबाद बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (वर्तमान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया)
3.	चल एवं अचल सुरक्षित आस्तियाँ जिनका विक्रय किया जाना है का विवरण	- लीज होल्ड प्लाट नं. ई-102 की समस्त संपत्ति, भूभाग, उस पर निर्मित भवन एवं प्लांट एवं मशीनरी, इण्डस्ट्रियल एरिया, बासानी, फेस-2, जोधपुर (राजस्थान) पर स्थित कुल भूमि का क्षेत्रफल-3940 वर्गमीटर संपत्ति मालिक-मेसर्स इंडीसन एग्रो फूड्स लिमिटेड चतुर्सीमाएं- उत्तर- ई-103, दक्षिण- ई-101, पूर्व- ई-37, पश्चिम- 60 फिट रोड
4.	प्लांट एवं मशीनरी जिसका विक्रय किया जाना है का विवरण	- 1. Electric Panel, Transformer, Motors, Conveyors, Blower, 2. Fitting part fen belt, motor pulley, flat pulley, belt, foundation bolts, motors stand, connecting pipes, bush, pedestal 3. Two sheet filters with conveyor 4. Iron and wooden separator 5. Air pressure blower with pipe line and cyclone 6. Dust collecting blower with pipe line, air locks, cyclone and dust collections 7. Pulverizer VM with stand 8. Six sheet filter with gear box 9. Horizontal type four mill 10.Elevators with complete parts 11. Three sheet filter & Meter machine (Panel)
4.	सिक्वोर्ड क्रेडिटर की जानकारी एवं सूचना के अनुसार संपत्ति पर भार का विवरण	- प्राधिकृत अधिकारी (कन्सॉल्टियम बैंक), कन्सॉल्टियम बैंक के सदस्य : [भारतीय स्टेट बैंक, इलाहाबाद बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (वर्तमान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया), आईसीआईसीआई बैंक] की जानकारी एवं सूचना के अनुसार संपत्ति पर कोई भार नहीं है। इच्छुक निविदाकर्ता अपनी निविदा जमा करने से पूर्व संपत्ति से संबंधित कोई भार, संपत्ति का स्वत्वाधिकार, दावे, देयताएं आदि जो किसी भी प्रकार से संपत्ति को प्रभावित करते हो, के विषय में स्वतंत्र निरीक्षण एवं जानकारी स्वतः प्राप्त करें। ई-नीलामी प्रकाशन को बैंक की ओर से दी जाने वाली किसी प्रकार की प्रतिबद्धता, प्रतिनिधित्व न समझा जाये। उपरोक्त संपत्ति एवं उन पर सभी प्रकार के वर्तमान एवं भावी प्रभार /ऋण/ भार/ दावे/ स्वत्वाधिकार जो कि बैंक की जानकारी में है या नहीं है के सहित विक्रय की जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी / सुरक्षित लेनदार किसी भी प्रकार से अन्य पक्षकार के दावे/अधिकार/देयता के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा।
5.	बकाया राशि जिस हेतु संपत्ति का विक्रय किया जा रहा है।	- भारतीय स्टेट बैंक कन्सॉल्टियम लीडर प्रतिभूत लेनदार को दिनांक 30/06/2017 को रुपए 219,06,84,216.87 + दिनांक 01-07-2017 से ब्याज व अन्य खर्चें
6.	धरोहर राशि का विवरण (ईएमडी)	- 1. भूमि एवं भवन की धरोहर राशि : ₹ 71,50,000/- 2. प्लांट एवं मशीनरी की धरोहर राशि : ₹ 1,10,000/- धरोहर राशि का भुगतान आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से किया जा सकता है अथवा किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक / अनुसूचित बैंक द्वारा जारी डिमांड ड्राफ्ट जो भारतीय स्टेट बैंक, खाता - इंडिसन एग्रो फूड्स लि. के नाम से भोपाल पर देय हो द्वारा जमा कर सकते हैं।
7.	सुरक्षित आस्तियों का आरक्षित मूल्य धरोहर राशि जमा करने हेतु खाते का विवरण धरोहर राशि जमा करने की अंतिम दिनांक एवं समय	- 1. भूमि एवं भवन का आरक्षित मूल्य : ₹ 715.00 लाख 2. प्लांट एवं मशीनरी का आरक्षित मूल्य : ₹ 11.00 लाख A/c No.: 30366919796 IFSC: SBIN0004293 खाते का नाम : SAMB कलेक्शन एकाउंट बैंक : भारतीय स्टेट बैंक, खाता - इंडिसन एग्रो फूड्स लि. के नाम से भोपाल पर देय हो द्वारा जमा कर सकते हैं। बैंक भारतीय स्टेट बैंक तनाव ग्रस्त आस्ति प्रबंधन शाखा भोपाल (कोड नं. 04293) धरोहर राशि दिनांक : 03.05.2019 तक सुबह 11.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक जमा की जा सकती है। नोट : फैक्ट्री प्लांट एंड मशीनरी को पहले बेचा जाएगा और उसके बाद फैक्ट्री भूमि एवं भवन को बेचा जाएगा दोनों को एक साथ भी बेचा जा सकता है। दोनों परिसंपत्तियों पर एक साथ बोली लगाने की सलाह दी जाती है। यदि बोली केवल भूमि और भवन के लिए प्राप्त होती है तो नीलामी रद्द कर दी जाएगी। यदि प्लांट और मशीनरी का सफल बोलीदाता, भूमि और भवन के सफल बोलीदाता से अलग है, तो प्लांट एण्ड मशीनरी की बोली लगाने वाले को बिक्री पत्र के जारी होने के 30 दिनों के भीतर सभी प्लांट और मशीनरी को हटाना होगा।
8.	राशि जमा करने का समय एवं तरीका	- बिक्री की पुष्टि होने पर सफल खरीददार विक्रय मूल्य का 25 प्रतिशत (जिसमें ईएमडी के लिए पहले भुगतान की गई रकम भी शामिल है) प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निविदा स्वीकार करने पर उसी दिन अथवा अगले कार्यालयीन दिवस (09-05-2019) तक जमा करनी होगी अन्यथा खरीददार द्वारा जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी। शेष 75% राशि 15 दिन के अन्दर (दिनांक 23-05-2019 तक) अथवा सिक्वोर्ड क्रेडिटर एवं ई-नीलामी खरीददार द्वारा लिखित में तय समय सीमा के अन्दर (ई-नीलामी दिनांक से अधिकतम तीन माह) भुगतान करना होगा अन्यथा खरीददार द्वारा पहले भुगतान/जमा की गई संपूर्ण राशि बैंक द्वारा जब्त कर ली जायेगी।
9.	ई-नीलामी की दिनांक एवं समय अथवा अन्य किसी माध्यम से नीलामी संपन्न होने का समय	- दिनांक : 08.05.2019 समय: सुबह 11.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक, स्थान - भारतीय स्टेट बैंक, तनाव ग्रस्त आस्ति प्रबंधन शाखा, भोपाल पता- प्लाट नं.1, प्रथम तल, एसबीआई भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल -462011 (म.प्र.) माध्यम : केवल अधिकृत सेवाप्रदाता मेसर्स सी-1 इंडिया लि. द्वारा ई-नीलामी संपन्न कराई जायेगी।
10.	नीलामी बैंक द्वारा अधिकृत सेवा प्रदाता द्वारा संपन्न होगी। ई-नीलामी निविदा प्रपत्र ऑन लाईन ई-नीलामी बिड फार्म, घोषणा पत्र इत्यादि सर्विस प्रदाता की वेबसाइट पर उपलब्ध है।	- मेसर्स सी 1 इंडिया प्रा. लि., उदय विहार, फेस-2, गल्फ पेट्रोकेम बिल्डिंग, बिल्डिंग नं. 301, गुडगांव-हरियाणा -122015 हेल्प लाईन नं. 0124-4302000, 4302020, 4302021, 4302022, ई-मेल -support@bankeauctions.com वेबपोर्टल https://www.bankeauctions.com
11.	(अ) बिड बढ़ाने की राशि (ब) ऑटो एक्सटेंशन समय (सीमित/असीमित) (स) बिड करेंसी एवं नापने की इकाई	- भूमि एवं भवन हेतु रु. 5,00,000/- (रु. पांच लाख मात्र) प्लांट एवं मशीनरी हेतु रु. 50,000/- (रु. पचास हजार मात्र) ऑटो एक्सटेंशन समय 5 मिनट के असीमित विस्तार पर रुपये
12.	दिनांक और समय जिसके दौरान अचल सुरक्षित संपत्ति का निरीक्षण किया जाना चाहिए और बोली लगाने वाले को परिसंपत्तियों और उनके संसाधनों के बारे में खुद को संतुष्ट करना चाहिए संपर्क व्यक्ति एवं मोबाइल नं.	- 24 -04-2019 सुबह 11 बजे से सायं 4 बजे तक श्री संतोष कुमार के. नायर मोबाइल : 9207766898 07552575211
13.	अन्य नियम एवं शर्तें	- माननीय डीआरटीए जबलपुर के समक्ष उधारकर्ता द्वारा एक प्रतिभूतिकरण आवेदन (एसए नंबर 112/2018) दायर किया गया है, जो कि निराकरण होने के लिए लांबित है, नीलामी पूर्वक प्रतिभूतिकरण आवेदन के निर्णय के अधीन है। (1) ऑन लाइन नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक बोलीकर्ताओं के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र एवं वैध ई-मेल आईडी होना आवश्यक है। (इच्छुक निविदाकर्ता को आई डी एवं पासवर्ड एवं संबंधित जानकारी सर्विस प्रदाता मेसर्स सी-1 इंडिया प्रा. लि., द्वारा ई-मेल के माध्यम से ही जानकारी दी जायेगी। (2) इच्छुक बोलीकर्ताओं को धरोहर राशि जमा करने का प्रमाण पत्र (UTR क्र.) एवं नीलामी में भाग लेने हेतु निम्नलिखित दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियाँ जैसे (i) आईडी प्रूफ (केवाईसी) जैसे-वोटर आईडी/द्वयविंग लाइसेंस /पासपोर्ट/आधार इत्यादि (ii) वर्तमान पते का प्रमाण पत्र (iii) बोलीकर्ता का पेन कार्ड की प्रति (iv) बोलीकर्ता का नाम वैध-ईमेल आई डी (v) बोलीकर्ता का सम्पर्क दूरभाष नं. (मोबाइल/ लैंड लाइन) प्राधिकृत अधिकारी भारतीय स्टेट बैंक, तनाव ग्रस्त आस्ति प्रबंधन शाखा, प्लाट नं.1, प्रथम तल, एसबीआई भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल -462011 (म.प्र.) के पास दिनांक 03-05-2019 को सायं 4 बजे तक जमा करना होगा। इन दस्तावेजों की स्कैन कॉपी प्राधिकृत अधिकारी के ईमेल आई डी पर अपलोड करनी होगी। (3) भारतीय स्टेट बैंक, तनाव ग्रस्त आस्ति प्रबंधन शाखा, भोपाल द्वारा वेबपोर्टल पर होनी वाली ई-नीलामी में भाग लेने वाले योग्य निविदाकर्ताओं का चयन किया जायेगा। योग्य निविदाकर्ताओं को मेसर्स सी-1, इंडिया प्रा. लि. द्वारा पेन कार्ड की जाँच के पश्चात आईडी पासवर्ड प्रदान किया जायेगा। (4) सफल निविदाकर्ता को ई-नीलामी के पश्चात ई-नीलामी के दौरान उद्धृत अंतिम कीमतों को जमा करने की आवश्यकता होगी, जो पहले से ही किसी अन्य नई शर्त के बिना स्वीकृति के टोकन के रूप में विधिवत हस्ताक्षरित और मुद्रांकित है। (5) ई-नीलामी के दौरान, यदि कोई बोली निर्दिष्ट समय के भीतर प्राप्त नहीं होती है, तो भारतीय स्टेट बैंक अपने विवेक पर ई-नीलामी प्रक्रिया को संशोधित करने या निविदा के पारंपरिक मोड के साथ आगे बढ़ने का निर्णय ले सकता है। (6) ई-नीलामी के लिए बैंक / सेवा प्रदाता के पास किसी भी रुकावट के लिए बोलीदाताओं के प्रति कोई दायित्व नहीं होगा या कारणों की परवाह किए बिना साइट तक पहुंच में देरी हो सकती है। (7) बोलीदाताओं को ई-नीलामी में भाग लेने से पहले सेवा प्रदाता द्वारा अपनाई गई ई-नीलामी की शर्तों और तौर-तरीकों की स्वीकृति प्रस्तुत करना आवश्यक है। (8) बोलीकर्ता द्वारा एक बार प्रस्तुत की गई बोली को रद्द / वापस नहीं किया जा सकता है और बोलीदाता को अंतिम बोली मूल्य पर संपत्ति खरीदने के लिए बाध्य किया जाएगा। ई-ऑक्शन के किसी भी नियम और शर्तों का पालन करने के लिए बोलीदाता की ओर से विफलता, यहाँ उल्लिखित डिफॉल्ट बोलीदाता द्वारा भुगतान की गई राशि को जब्त करने के परिणामस्वरूप होगी। (9) सफल बोली लगाने वाले की घोषणा के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और सभी बोलीकर्ताओं पर बाध्यकारी होगा। (10) प्राधिकृत अधिकारी किसी भी कारण से, बिना किसी कारण बताए सफल बोली लगाने वाले की घोषणा करने से पहले, किसी भी समय ई-नीलामी प्रक्रिया / निविदा को रद्द करने के लिए स्वतंत्रता में होगा। (11) ईएमडी के बिना प्रस्तुत बोली को स्वीकार नहीं किया जाएगा। संपत्ति आरक्षित मूल्य से नीचे नहीं बेची जाएगी। (12) सशर्त बोलियाँ अमान्य मानी जायेगी। कृपया ध्यान दें कि बोली प्रस्तुत करने के बाद, बोली में किसी भी बदलाव के संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। (13) असफल बोलीदाता की धरोहर राशि बैंक के साथ साझा किए गए उनके संबंधित खाता क्रमांक में वापस कर दी जाएगी। बोली लगाने वाले किसी भी ब्याज, लागत, खर्च और किसी अन्य शुल्क (यदि कोई हो) का दावा करने के हकदार नहीं होंगे। (14) प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम निविदा या किसी भी निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और प्राधिकृत अधिकारी को किसी भी या सभी प्रस्ताव को स्वीकृत/अस्वीकृत/निरस्त / स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित होगा। ई-नीलामी बिक्री सुरक्षित लेनदार द्वारा पुष्टि के अधीन है। (15) भुगतान में चूक होने पर संपत्ति की पुनः बिक्री की जायेगी और उस पर चूककर्ता खरीददार का किसी भी प्रकार का संपत्ति / राशि पर दावा मान्य नहीं होगा। (16) सफल क्रेता को आवश्यक स्टाम्प शुल्क, अतिरिक्त शुल्क, पट्टा अधिकार अंतरण शुल्क, ट्रांसफर शुल्क, रजिस्ट्रेशन फीस इत्यादि / संपत्ति पर भुगतान की जाने वाली सांविधिक देयताएं एवं अन्य प्रभार यदि कोई हो से संबंधित सभी व्ययों का भुगतान करना होगा। (17) सफल क्रेता को संपत्ति पर भुगतान की जाने वाली सांविधिक देयताएं/ असांविधिक देयताएं, कर, जीएसटी एवं अन्य प्रभार यदि कोई हो से संबंधित सभी व्ययों का भुगतान करना होगा। (18) किसी भी विवाद की स्थिति में बोली (ओं) की वैधता, बोली की राशि, ईएमडी या बोलीदाता की पात्रता के रूप में उत्पन्न होती है, बोली लगाने वाले व्यक्ति का अधिकार, प्राधिकृत अधिकारी की व्याख्या और निर्णय। अंतिम होगा। ऐसी स्थिति में, बैंक अपने विवेकाधिकार के तहत बिक्री को बंद करने और किसी भी तारीख पर एक बार फिर से बिक्री करने के लिए संपत्ति रखने का हकदार होगा और ऐसे समय में बैंक द्वारा निर्णय लिया जा सकता है। किसी भी प्रकार के विवाद के लिए, बोलीदाताओं को संबंधित बैंक शाखा के संबंधित प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क करना होगा। (19) संपूर्ण नीलामी राशि प्राप्त होने के पश्चात क्रेता को विक्रय प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा। विक्रय प्रमाण पत्र सफल क्रेता के नाम ही जारी किया जायेगा। ई-नीलामी में भाग लेने वाले / बोली लगाने वाले व्यक्ति के अलावा विक्रय प्रमाण पत्र में नाम बदलने का कोई अनुरोध नहीं किया जाएगा। (20) चूक संपत्ति लीज पर रखी गई है केवल लीज होल्ड राइट्स ही आवंटित किए जाएंगे। राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल एंड मिनेरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (रिफो) जोधपुर के आदेश के संदर्भ में उनके फूड्स संख्या U(15)-(H)/2010-11 10005 दिनांक 14.01.2011 मेसर्स इंडिसन एग्रो फूड्स के नाम पर लीज-होल्ड हस्तांतरण लिए अन्य सभी टीएंडसी मूल लीज डीड के 01.01.1978 के अनुसार बने हुए हैं।
विशेष सूचना - अंतिम मिनट एवं सेकेण्ड में बिड करने से बचें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं सेवा प्रदाता किसी भी बंद/जुटि (इंटरनेट बंद/ लाइट जाने आदि) के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इन स्थितियों से बचने हेतु एवं आपातकालीन परिस्थितियों हेतु निविदाकर्ता से निवेदन है कि वे सभी आवश्यक प्रबंध/विकल्प अपने पास रखें, जैसे कि बैंकअप पावर सप्लाई आदि जिससे वे ई-नीलामी में सफलतापूर्वक भाग ले सकें। कन्ट्रोलर ऑफसर्टिफाइंग अर्थोटीज (CCA) सिक्वोर्ड साफ्ट लेयर (SSL) सर्टिफिकेट द्वारा जारी नई इंटर ऑफरेबिलिटी गाइडलाइन के अनुसार कम्प्लाइयन्ट होंगे। अतः उपयोगकर्ता निश्चित कर लें कि उनके पास Window XP (SP3) / Windows Vista / Windows उनके कम्प्यूटर/लेपटॉप में इंस्टाल हो। Windows XP service pack-3, में कुछ परेशानी होने पर इन्स्टाल करें। जो कि हमारे ई-ऑक्शन पोर्टल के डाउनलोड विभाग में उपलब्ध हैं एवं कॉर्पोरेट वेबसाइट https://www.bankeauctions.com में "knowledge section" के बिल्कुल नीचे हैं। (संतोष कुमार के. नायर) प्राधिकृत अधिकारी भारतीय स्टेट बैंक तनाव ग्रस्त आस्ति प्रबंधन शाखा, भोपाल प्लाट नं.1, प्रथम तल, एसबीआई भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल -462011 (म.प्र.)		
दिनांक : 18-04-2019 स्थान : भोपाल		